



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 माघ 1929 (श०)

(सं० पटना 55)

पटना, वृहस्पतिवार, 24 जनवरी, 2008

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

अधिसूचनाएं

16 जनवरी, 2008

सं०-I/एम।-190/2005-103—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-78 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निबंधन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना, एस.ओ.सं०-I/एम।-190/2005-736, दिनांक 10 मार्च, 2007 को तुरत के प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन:- उक्त अधिसूचना की कौडिका 01 की उप-कौडिका 02 में प्रयुक्त शब्द "के बाहर भूखंड/शेड से अन्यथा भूमि" शब्द में स्थित शेड सहित भूखंड" द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव।

16 जनवरी, 2008

सं०-I/एम।-190/2005—104 तथा -103—का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव।

The 16th January, 2008

No-I/M1-190/2005-103—In exercise of the powers conferred under section 78 of the Registration Act, 1908, the Governor of Bihar is pleased to amend the S.O.N0-I/M1-190-736, dated 10th March, 2007 of Department of Registration, Government of Bihar as follows with immediate effect:—

Amendment:- The words "places other than the piece of land/shed out of" used in sub-para 02 of para 01 of the said order shall be substituted by the words "the land, including shed situated in."

By order of the Governor of Bihar,
AMIR SUBHANI,
Secretary to Government.

16 जनवरी, 2008

सं०- I/एम1- 190/2005- 102—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धार-9 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निबंधन विभाग, बिहार सरकार के स्थायी आदेश सं०-I/ई1-409/2002-504, दिनांक 28 फरवरी 2004 को एतद् द्वारा निरसित करते हैं और स्थायी आदेश सं०-I/एम1- 190/2005-737, दिनांक 10 मार्च, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

संशोधन:- उक्त आदेश की कौडिका 01 की उप-कौडिका 02 में प्रयुक्त शब्द "के बाहर भूखंड/शेड से अन्यथा भूमि" शब्द "में अवस्थित शेड सहित भूखंड" जोड़े जाएंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव।

16 जनवरी, 2008

सं०- I/एम1-190/2005-103—तथा -102—का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव।

The 16th January, 2008

N0.-I/M1-190/2005-102—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section-9 of the Indian Stamp Act, 1899 the Governor of Bihar is hereby pleased to repeal the Standing Order N0.- I/E1-409/2002-504, dated 28th February, 2004 and to make the following amendment in Standing Order No.- I/M1-190/2005-737, dated 10th March, 2007 of Department of Registration, Government of Bihar:—

Amendment:- The words "places other than the piece of land/shed situated" used in the sub-para 02 of para 01 of the said order shall be substituted by the words "including the piece of land/ shed situated in."

By order of the Governor of Bihar,
AMIR SUBHANI,
Secretary to Government.

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित
तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 55-571+200-डी0 टी0 पी0।